

25/1/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई. अभिवादी पत्रिकादि उपस्थिति
पत्रिकादि अधिकारी का (ए.ए.) अ. नं. 12/1/21
पत्रावली वास्तं त. ज. आवन्दा दिनांक 4/5/21
के पेश हो।

4/5/21

कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने एवं मा. राजस्व
मण्डल अखण्ड से प्राप्त निर्देशानुसार
लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित
रखे जाने के कारण पत्रावली दिनांक 12/7/21
को पेश हो।

12/7/21

पत्रावली प्रस्तुत हुई. अभिवादी पत्रिकादि उपस्थिति
पत्रिकादि अधिकारी उन्म कार्य में व्यस्त है।
पत्रावली वास्तं त. ज. आवन्दा दिनांक 29/9/21
के पेश हो।

NOT PRESS
25/10/21

पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता वादी ने
पत्रावली में NOT PRESS किया। अब
पत्रावली में कोई कार्यवाही या अनुरोध
नहीं चाहते हैं। अतः वाद पत्र अन्तर्गत
धारा 188 राज. काश्तकारी अधि नियम
इसी स्टैज पर खारिज किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम है।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़ जि-भीलवाड़ा ।